न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 13/2024

वादीगण :-

1. भेराराम पुत्र स्व. मांगीलाल
2. भगवानराम पुत्र स्व. नेमाराम
3. मंजू पुत्री स्व. नेमाराम पत्नी किशोर
4. शांतिदेवी पत्नी स्व. नेमाराम
5. राजूड़ी उर्फ सुमन पुत्री स्व. नेमाराम पत्नी प्रकाश चौधरी
6. गुडिया उर्फ सुनिता पुत्री स्व. नेमाराम पत्नी अणदाराम सभी जातियान जाट, निवासीगण जाटाबास ग्राम भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. गंगाराम पुत्र स्व. मांगीलाल जाति जाट निवासी जाटाबास ग्राम भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः-वादीगण - श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता।

प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पेरोकार।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

निर्णय **दिनांकः-** 15/07/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 उपरोक्त पते पर निवास करते है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 धर्म हिन्दु है। राजस्व ग्राम भावी जाटाबास, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2139 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2141 रकबा 3.7942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2197 रकबा 1.0436 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2318 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2596 रकबा 1.0193 हैक्टेयर, खसरा संख्या 28 रकबा 3.0580 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 6 कुल रकबा 10.5331 हैक्टेयर आई हुई है। जिसके खाता संख्या 798 चालु जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के अनुसार है। उपरोक्त खसरान की भूमि को वाद पत्र के आगे के पदो में वादग्रस्त कृषि भूमि से संबोधित किया जायेगा। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का वंशावली वृक्ष वाद पत्र के पैरा सं. 3 के अनुसार है उपरोक्त वंशावली वृक्ष के अनुसार मांगीलाल वादीगण के दादा/पिता/ससुर थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा स्व. मांगीलाल के वारिस भेराराम, गंगाराम, नेमाराम, साऊ उर्फ सायरी, गुटकी, मोहनीदेवी पिसरान स्व. मांगीलाल व चुन्नीदेवी पत्नी स्व. मांगीलाल है। स्व. मांगीलाल के वारिस नेमाराम व चुन्नीदेवी का भी स्वर्गवास हो चुका है। स्व. नेमाराम के वारिसान सुरेश, भगवानराम, मंजू, गुडिया उर्फ सुनिता, राजूड़ी उर्फ सुमन पिसरान स्व. नेमाराम व शान्तिदेवी पत्नी स्व. नेमाराम है। स्व. नेमाराम के वारिस सुरेश भी कुवारा फौत हो चुका है। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में वादीगण के दादा/पिता/ससुर मांगीलाल पुत्र रामाराम के नाम दर्ज थी। मांगीलालजी फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 2554 द्वारा स्व. मांगीलालजी के स्थान पर उनके वारिस भेराराम, गंगाराम पिसरान मांगीलाल, चुन्नीदेवी पत्नी मांगीलाल, साऊ, गुटकी, मोहनी पुत्रिया मांगीलाल, सुरेश, भगवानराम पुत्र नेमाराम, शान्तिदेवी पत्नी नेमाराम, मंजू, गुडिया, राजूड़ी पुत्रिया नेमाराम का नाम राजस्व रेकर्ड

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

जमाबन्दी में दर्ज किया गया। इस प्रकार मांगीलालजी फौत होने से हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार जरिये उतराधिकार वादी संख्या 1 भेराराम को 1/7 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 गंगाराम को 1/7 वां हिस्सा, स्व. नेमाराम के वारिस वादी संख्या 2 से 6 को 1/7 वां हिस्सा, स्व. मांगीलाल की पुत्रिया साऊ, गुटकी, मोहनीदेवी प्रत्येक को 1/7 वां हिस्सा व चुन्नीदेवी पत्नी स्व. मांगीलाल को 1/7 वां हिस्सा निहित हुआ। चुन्नीदेवी पत्नी स्व. मांगीलाल का स्वर्गवास आज से लगभग 15-16 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा सुरेश पुत्र स्व. नेमाराम भी कुंवारा आज से लगभग 13-14 वर्ष पूर्व फौत हो चुका है। परन्तु चुन्नीदेवी व सुरेश का फौतेदगी म्यूटेशन आज दिन तक दर्ज नही होने से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में चुन्नीदेवी व सुरेश का नाम दर्ज है तथा स्व. चुन्नीदेवी के वारिस वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व साऊ गुटकी, मोहनीदेवी है तथा स्व. सुरेश के वारिस वादी संख्या 2 से 6 है। चुन्नीदेवी पत्नी स्व. मांगीलाल व सुरेश पुत्र स्व. नेमाराम फौत होने से वादग्रस्त कृषि भूमि में हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार जरिये उतराधिकार वादी संख्या 1 भेराराम को 1/6 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 राम को 1/6 वां हिस्सा, स्व. नेमाराम के वारिस वादी संख्या 2 से 6 को 1/6 वां हिस्सा, स्व. मांगीलाल की पुत्रिया साऊ, गुटकी, मोहनीदेवी प्रत्येक को 1/6 वां हिस्सा निहित हुआ। साऊ, गुटकी, मोहनीदेवी पिसरान स्व. मांगीलाल द्वारा अपना निहित उपरोक्त हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 13.06.2023 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में हकतर्क कर दिया। जबकि कानूनन साऊ, गुटकी, मोहनीदेवी पिसरान स्व. मांगीलाल द्वारा अपना निहित हिस्सा अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में हकतर्क करने का कोई अधिकार नही था, क्योकि कानूनन एक सहखातेदार किसी विशिष्ट एक सहखातेदार के पक्ष में हकत्याग नही कर सकता है, अपितु वो कानूनन सभी सहखातेदार के पक्ष में अपना निहित हिस्से का हकत्याग कर सकता है। वादीगण भी वादग्रस्त कृषि भूमि के उपरोक्त निहित हिस्से अनुसार सहखातेदार है इसलिए कानूनन साऊ, गुटकी, मोहनीदेवी पिसरान स्व. मांगीलाल को अपना निहित हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के साथ-साथ वादीगण के पक्ष में भी हकतर्क करना चाहिए था जो उनके द्वारा नही किया गया। साऊ, गुटकी, मोहनीदेवी पिसरान स्व. मांगीलाल द्वारा अपना निहित हिस्सा अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में हकतर्क करने से कानूनन अकेले प्रतिवादी संख्या 1 को साऊ, गुटकी, मोहनीदेवी पिसरान स्व. मांगीलाल का निहित हिस्सा प्राप्त नही होता है अपितु साऊ, गुटकी, मोहनीदेवी पिसरान स्व. मांगीलाल का निहित हिस्सा उपरोक्त हकतर्कनामा के आधार पर कानूनन वादीगण को भी प्राप्त होता है। इस प्रकार साऊ, गुटकी, मोहनीदेवी पिसरान स्व. मांगीलाल का निहित हिस्सा हकतर्क के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ-साथ वादीगण को भी कानूनन प्राप्त होने से वादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, व वादी सं. 2 से 6 तक का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा निहित व बनता है। उपरोक्त निहित हिस्सा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण के नाम दर्ज नहीं है, जबकि वादीगण उपरोक्त निहित हिस्सा की खातेदारी अपने नाम कानूनन घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा उपरोक्त तथ्यों की जानकारी वादग्रस्त कृषि भूमि की चालु जमाबन्दी दिनांक 31.01.2024 को प्राप्त करने पर हुई जिस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण के निहित उपरोक्त हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण के निहित उपरोक्त हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज करवाने से मना कर दिया। इसलिए वादीगण को निहित हिस्सा वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व वादी संख्या 2 से 6 का 1/3 हिस्सा के सम्बंध में खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु यह वाद बाबत् खातेदारी

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

घोषणा का वादीगण की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। साऊ, गुट्की, मोहनीदेवी पिसरान स्व. मांगीलाल का निहित हिस्सा रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 13.06.2023 के आधार पर अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज होने के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 02.02.2024 को बैचान किये जाने हेतु अजनबी क्रेतागण को वादग्रस्त कृषि भूमि का मौका दिखाने हेतु मौके पर लेकर आये, जिसकी जानकारी वादीगण को होने पर वादीगण मौके पर गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण द्वारा समझाईश की परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की समझाईश से नही माना तथा उसने वादीगण को धमकी दी कि प्रतिवादी संख्या 1 साऊ, गुट्की, मोहनीदेवी पिसरान स्व. मांगीलाल का निहित हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा के आधार पर उसके नाम दर्ज होने के आधार पर आगे बैचान हस्तान्तरण करके रहेगा। जबकि कानूनन गुट्की, मोहनीदेवी पिसरान स्व. मांगीलाल का निहित हिस्सा अकेले प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त नही होता है अपितु वादीगण को भी प्राप्त होता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को साऊ, गुट्की, मोहनीदेवी पिसरान स्व. मांगीलाल का निहित हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 13.06.2023 के आधार पर उसके नाम दर्ज होने के आधार पर कानूनन बैचान करने का कोई अधिकार नही है। यदि प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वो साऊ, गुट्की, मोहनीदेवी पिसरान स्व. मांगीलाल का निहित हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 13.06.2023 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज होने के आधार पर बैचान हस्तान्तरण कर देगा। जिससे वादीगण उक्त हकतर्कनामा के आधार पर कानूनन निहित हिस्सा के सम्बंध में सदा-सदा के लिए वंचित हो जायेंगे तथा प्रकरण में पैचिदगिया व मुकदमेंबाजी बढ जायेगी। जिससे वादीगण को अपूर्णनीय क्षति भी होंगी। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त गैर कानूनी कृत्य किये जाने से रोकने हेतु उसे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इसलिए यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है। वादकारण वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में जरिये उतराधिकार निहित हिस्सा साऊ, गुट्की, मोहनीदेवी पिसरान स्व. मांगीलाल द्वारा अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 13.06.2023 द्वारा हकत्याग करने तथा हकतर्कनामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 4146 द्वारा हकतर्कसुदा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज होने तथा जानकारी वादीगण को चालु जमाबन्दी की नकल दिनांक 31.01.2024 को प्राप्त करने पर होने से वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त हकतर्कनामा के आधार पर निहित वादीगण का हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण के निवेदन को मानने से मना करने पर तत्पश्चात् दिनांक 02.02.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त हकतर्कनामा के आधार पर दर्ज हिस्सा अजनबी क्रेतागण को बैचान किये जाने हेतु अजनबी क्रेतागण को मौके पर लेकर आने तथा वादीगण द्वारा समझाईश करने पर भी नही मानने तथा हकतर्कनामा के आधार पर दर्ज हिस्सा को बैचान हस्तान्तरण कर खुर्द बुर्द करने की धमकी देने पर बमुकाम् ग्राम भावी जाटाबास, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ। जो सतत् जारी है।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

अतः वादीगण द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम भावी जाटाबास, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 2139 रकबा 0.6472 हैक्टेयर खसरा संख्या 2141 रकबा 3.7942 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2197 रकबा 1.0436 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2318 रकबा 0.9708 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2596 रकबा 1.0193

हैक्टेयर, खसरा संख्या 28 रकबा 3.0580 हैक्टेयर कुल खसरा संख्या 6 कुल रकबा 10.5331 हैक्टेयर में से वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से, वादी संख्या 2 से 6 को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की घोषित सहखातेदारी की भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 2 को आदेशित किया जावे व चुन्नीदेवी पत्नी स्व. मांगीलाल व सुरेश पुत्र स्व. नेमाराम फौत होने से तथा इनके वारिस पूर्व से ही राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज होने से इनका नाम चालु जमाबन्दी से हटाये जाने का आदेश फरमावे । प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के वादग्रस्त कृषि भूमि में से घोषित वादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से व वादी संख्या 2 से 6 के 1/3 हिस्सें में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे व न किसी अन्य से करावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 को जवाब प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिवादी सं. 1 का जवाब बन्द किया जाता है। प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाडा के मूल निवासी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम भावी जाटाबास में आई हुई है। जिसके खसरा नंबर 2139 रकबा 0.6472 हैक्टयर, खसरा नंबर 2141 रकबा 3.7942 हैक्टयर, खसरा नंबर 2197 रकबा 1.0436 हैक्टयर, खसरा नंबर 2318 रकबा 0.9708 हैक्टयर, खसरा नंबर 2596 रकबा 1.0193 हैक्टयर, खसरा सं. 28 रकबा 3.0580 हैक्टयर, कुल खसरा 6 रकबा 10.5331 हैक्टयर आई हुई है। जिसमें वर्तमान जमाबंदी चौसाला संवत् 2076-2079 के अनुसार 798 है। वादीगण व प्रतिवादीगण की वृक्ष वंशावली तहसीलदार बिलाडा के जवाब के पैरा सं. 3 के अनुसार है। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में वादीगण के दादा/पिता व ससुर के नाम थी। जिनका नाम मांगीलाल पुत्र रामाराम था। खातेदार मांगीलाल पुत्र रामाराम के फौत होने पर जरिये विरासत नामा. 2554 के जरिये मांगीलाल पु. रामाराम के स्थान पर उनके वारिसान भैराराम, गंगाराम पुत्र मांगीलाल, चुन्नीदेवी पत्नी मांगीलाल, साउ, गुट्की, मोहनी पुत्री मांगीलाल, सुरेश, भगवानराम पुत्र नेमाराम, शांतिदेवी पत्नी नेमाराम, मंजू, गुडिया, राजूडी पुत्री नेमाराम के नाम दर्ज हुई। हिन्दु उतराधिकार कानून के अनुसार वादी सं. 1 भेराराम का 1/7 प्रतिवादी सं. 1 गंगाराम का 1/7, स्व. नेमाराम के वारिस वादी सं. 2 से 6 का 1/7 व मांगीलाल की पुत्रियां साउ, गुट्की, मोहनीदेवी प्रत्येक का 1/7-1/7 व पत्नी चुनीदेवी का 1/7 हिस्सा निहित हुआ। चुनीदेवी पत्नी मांगीलाल व सुरेश पुत्र नेमाराम की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन इनका विरासत नामा. भरवाया नहीं गया है। राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में इनका नाम व हिस्सा दर्ज है। चुनीदेवी व सुरेश के फौत होने हिन्दु उतराधिकार कानून के अनुसार- वादी सं. 1 का 1/6, प्रतिवादी सं. 2 का 1/6, स्व.नेमाराम के वारिस वादी सं. 2 से 6 का 1/6 व मांगीलाल की पुत्रियां साउ, गुटकी व मोहनीदेवी प्रत्येक का 1/6 हिस्सा बनता है। साउ, गुटकी, मोहनीदेवी पुत्री मांगीलाल द्वारा अपना निहित हिस्सा दिनांक 13.06.2023 को प्रतिवादी सं. 1 पक्ष में हकतर्ककर दिया जो कानूनन सही नहीं था। उक्त हकतर्कनामा के अनुसार नामा. सं. 4146 भर कर स्वीकृत हुआ है। जिससे प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 4/7 दर्ज हो गया, जो कानूनन सही नहीं है। नामा. की प्रति संलग्न है। कानूनन रुप से पैतृक सम्पति किसी

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

विशेष व्यक्ति के पक्ष में हकतर्कनामा किया है। जो पैतृक संपति है। कानूनन रूप से सही नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र कर निवेदन है कि ग्राम भावी जाटाबास के खसरा नंबर 2139 रकबा 0.6742, खसरा नंबर 2141 रकबा 3.7942 हैक्टयर, खसरा नंबर 2197 रकबा 1.0436 हैक्टयर, खसरा नंबर 2318 रकबा 0.9708 हेक्टयर, खसरा नंबर 2596 रकबा 1.0193 हैक्टयर, खसरा नंबर 28 रकबा 3.0580 हैक्टयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 10. 5331 हैक्टयर में पद सं. 3 में दर्ज वृक्ष वंशावली अनुसार व पैतृक सम्पति में कानूनन हकतर्कनामा के अनुसार मृत खातेदार चुनीदेवी पत्नी मांगीलाल व सुरेश पुत्र नेमाराम के नाम को हटाते हुए वर्तमान जमाबंदी के खाता सं. 798 में नाम व हिस्से की दुरुस्ती की जाकर वादी सं. 1 भेराराम का 1/3, वादी सं. 2 से 6- भगवानराम पुत्र नेमाराम, मंजू पुत्री नेमाराम, शांतिदेवी पत्नी नेमाराम, राजूडी उर्फ सुमन पुत्री नेमाराम, गुडिया उर्फ सुनिता पुत्री नेमाराम का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 गंगाराम पुत्र मांगीलाल का 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाना उचित है। वादीगण की खातेदारी घोषित किये जाने में भूमिधारी सहमत है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र भेराराम पुत्र स्व. मांगीलाल पी.डब्लू. 1 व मंजू पुत्री स्व. नेमाराम पी.डब्लू. 2 पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 798 की ई प्रति, प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत् 2052-2055 के खाता सं. 647 की ई प्रति, प्रदर्श 3 गुटकी, मोहनी, साउ बहक गंगाराम रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 13.06.2023 की प्रति, प्रदर्श 4 म्यूटेशन सं. 4146 ग्राम भावी जाटाबास की ई प्रति, प्रदर्श 5 वादीगण के आधार कार्ड की प्रति आदि प्रदर्षित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के साथ संलग्न जमाबंदी संवत् 2052-2055 के अनुसार राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 2139 रकबा 0.6742, खसरा नंबर 2141 रकबा 3.7942 हैक्टयर, खसरा नंबर 2197 रकबा 1.0436 हैक्टयर, खसरा नंबर 2318 रकबा 0.9708 हेक्टयर, खसरा नंबर 2596 रकबा 1.0193 हैक्टयर, खसरा नंबर 28 रकबा 3.0580 हैक्टयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 10.5331 हैक्टयर पूर्व में वादीगण के दादा/पिता/ससुर मांगीलाल पि. रामाराम कौम जाट सा.देह खातेदार के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी। खातेदार मांगीलाल के फौत होने पर उनके स्थान पर जरिये म्यूटेशन सं. 2554 दिनांक 20.06.2011 के अनुसार भेराराम, गंगाराम पि. मांगीलाल, चुन्नीदेवी पत्नी मांगीलाल, साउ, गुटकी, मोहनी पुत्री मांगीलाल, सुरेश, भगवानराम पुत्र नेमाराम, शांतिदेवी पत्नी नेमाराम, मंजू, गुडिया रामूडी पुत्री नेमाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। खातेदार गुटकी, मोहनी,साउ पुत्री मांगीलाल जातियान जाट निवासीगण भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक का राजस्व रेकर्ड में दर्ज 1/7-1/7-1/7 हिस्सा का जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा बहक गंगाराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट निवासी भावी के पक्ष में निष्पादित किया गया। उक्त रजिस्टर्ड हकतर्कनामा के आधार पर नामान्तरकण सं. 4146 दिनांक 12.07.2023 राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। उक्त रजिस्टर्ड हकतर्कनामा को वादीगण द्वारा खारिज करने का निवेदन किया जिसके संदर्भ में कुछ न्यायिक दृष्टान्त भी पेश किये गये। न्यायिक दृष्टान्त ***कमलादेवी***

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

बनाम चम्पालाल वगैराह 2014(1) आर.आर.टी. 509 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा 53 व 188– विभाजन व निषेधाज्ञा हेतु वाद–सह खातेदार पी ने प्रतिवादी सं. 5 के पक्ष में रिलीज डीड निष्पादित किया– वाद के विचाराधीन पी की मृत्यु हुई– विचारण न्यायालय ने निर्णीत किया कि सहखातेदार उसका हिस्सा एक सहखातेदार के पक्ष में नहीं छोड सकता और डिक्री प्रदान की तथा प्रत्येक सह काश्तकार के 1/5 हिस्से का हकदार होना माना– प्रत्येक तनकी पर निर्णय नहीं देना प्रकरण को रिमाण्ड करने हेतु पर्याप्त नहीं है– निचले न्यायालयों ने मुख्य विवाद को निर्णीत किया– निर्णीत, निर्णयों में अवैधानिकता अथवा क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि नहीं है। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त ***नरेन्द्र प्रसाद बनाम महेन्द्र वगैराह 2023(2) आर. आर.टी. 1230 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955– धारा 88, 89 एवं 188– वाद डिक्री किया और राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपील खारिज की – पन्ना लाल की पुत्रियों का नाम उसकी मृत्यु के बाद दर्ज नही किया– पुत्री जमना, कुसुम, कमला तथा पुत्र वेद प्रकाश द्वारा वाद पेश किया– कान्ता प्रसाद व वेद प्रकाश के पक्ष में निष्पादन की तारीख को पुत्रियां रेकॉर्डेड खातेदार नहीं थी– बहने उनका हिस्सा किसी विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में तर्क नहीं कर सकती– पुत्रियों का हिस्सा सभी सदस्यों में बांटे जाने योग्य था– राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा तर्क सम्मत आदेश पारित नहीं किया गया– निर्णीत, निर्णय अपास्त किया तथा पुनः निर्णीत करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया।***

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। उपरोक्त हस्तगत प्रकरण में साउ, गुटकी, मोहनीदेवी पुत्रीयां स्व. मांगीलाल द्वारा गंगाराम पुत्र स्व. मांगीलाल के पक्ष में रजिस्टर्ड हकतर्कनामा निष्पादित किये जाने के कारण वादीगण द्वारा वादपत्र पेश किया गया। विधि अनुसार एक सहखातेदार रिलीजडीड के माध्यम से अपना हिस्सा सभी सह–खातेदारों के पक्ष में तो छोड सकता है, किसी विशिष्ट एक सहखातेदार के पक्ष में हक त्याग नहीं कर सकता है। विधि अनुसार बहनों द्वारा किसी भी सम्पति में अपने हक का त्याग किसी विशेष भाई–बहन के पक्ष में नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति द्वारा संपति में उसके हिस्से का हकत्याग करने के पश्चात उसके हिस्से का बराबर–बराबर अन्तरण होकर शेष परिवार जनों में विभक्त होता है। वादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त वादीगण के हस्तगत प्रकरण पर हुबहु चस्पा होता है। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में भी वादीगण के अनुतोष को स्वीकार किये जाने हेतु सहमति प्रदान की है। वादीगण का दावा डिक्री किये जाने योग्य है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 2139 रकबा 0.6742, खसरा नंबर 2141 रकबा 3.7942 हैक्टयर, खसरा नंबर 2197 रकबा 1.0436 हैक्टयर, खसरा नंबर 2318 रकबा 0.9708 हेक्टयर, खसरा नंबर 2596 रकबा 1.0193 हैक्टयर, खसरा नंबर 28 रकबा 3.0580 हैक्टयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 10.5331 हैक्टयर में तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रेषित मौका फर्द में दर्ज वृक्ष वंशावली अनुसार व पैतृक सम्पति में कानूनन हकतर्कनामा के अनुसार मृत खातेदार चुनीदेवी पत्नी मांगीलाल व सुरेश पुत्र नेमाराम के नाम को हटाते हुए वर्तमान जमाबंदी के खाता सं. 798 में नाम व हिस्से की दुरुस्ती की जाकर वादी सं. 1 भेराराम का 1/3, वादी सं. 2 से 6– (भगवानराम पुत्र नेमाराम, मंजू पुत्री नेमाराम, शांतिदेवी पत्नी नेमाराम, राजूडी उर्फ सुमन पुत्री नेमाराम,

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

गुडिया उर्फ सुनिता पुत्री नेमाराम) का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 गंगाराम पुत्र मांगीलाल का 1/3 हिस्सा की खातेदारी घोषित की जाती है। तथा प्रतिवादीगण सं. 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की घोषित खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15/07/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण :- **बनाम** **प्रतिवादीगण :-**
भैराराम वगैरा गंगाराम वगैरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व वाद संख्या :- 13/2024

निर्णय **दिनांक :-** 15/07/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 2139 रकबा 0.6742, खसरा नंबर 2141 रकबा 3.7942 हैक्टयर, खसरा नंबर 2197 रकबा 1.0436 हैक्टयर, खसरा नंबर 2318 रकबा 0.9708 हेक्टयर, खसरा नंबर 2596 रकबा 1.0193 हैक्टयर, खसरा नंबर 28 रकबा 3.0580 हैक्टयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 10.5331 हैक्टयर में तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रेषित मौका फर्द में दर्ज वृक्ष वंशावली अनुसार व पैतृक सम्पति में कानूनन हकतर्कनामा के अनुसार मृत खातेदार चुनीदेवी पत्नी मांगीलाल व सुरेश पुत्र नेमाराम के नाम को हटाते हुए वर्तमान जमाबंदी के खाता सं. 798 में नाम व हिस्से की दुरुस्ती की जाकर वादी सं. 1 भेराराम का 1/3, वादी सं. 2 से 6- (भगवानराम पुत्र नेमाराम, मंजू पुत्री नेमाराम, शांतिदेवी पत्नी नेमाराम, राजूडी उर्फ सुमन पुत्री नेमाराम, गुडिया उर्फ सुनिता पुत्री नेमाराम) का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 गंगाराम पुत्र मांगीलाल का 1/3 हिस्सा की खातेदारी घोषित की जाती है। तथा प्रतिवादीगण सं. 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण की घोषित खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा